अक्षम बनाम सक्षम : शिक्षा एवं पुनर्वास से जुड़े मानवीय सरोकार

गीता राय

प्रोफसर-शिक्षा शास्त्र, महिला महाविद्यालय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-5 उ0प्र0 (भारत)

रमेश कुमार

शोध छात्र, शिक्षा संकाय, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी-10 उ0प्र0 (भारत)

Abstract

Education is one of the most significant factors in achieving individual development, technological progress and strengthening the social order founded on the values of freedom, social justice and equal opportunity. It helps a person to raise his/her socio-economic status, to contribute in the national development and to be in mainstream. With the notion that disability is not something one has, it is something that, happens when one group of people create barriers by designing the world only for their own style of living, facilitating others by the suitable curriculum for early intervention, academic excellence, vocational training and timely rehabilitation, special training, proper diet, nutrition and medical need, attention & affection of sensitized and fully dedicated group of people is needed apparently.

Therefore, having the millennium goals of development (2000) alone is not important. Even, the abundance of evidences in terms of provisions, policies, schemes will not work. Their actual implementation at the ground level needs sensitization, devotion , dedication ,commitment and human concerns towards the mission. This paper focuses on all such issues.

Key-words : Disable, Able, Education, Rehabilitation, Human Concerns.

समुन्नत वैज्ञानिक अवधारणा एवं प्रौद्योगीकीजन्य प्रतिस्पर्धात्मक उदारीकरण व भूमण्डलीकरण के वैश्विक परिवेश में आसन्न चुनौतिपूर्ण शैक्षिक आकांक्षाओं में मानवीय सरोकारों का दृष्टिनिरपेक्ष चिन्तन व समन्वयन आज की युगीन माँग है । किसी भी प्रकार के चिन्तन का मुख्य केन्द्र मानव ही होता है । दार्शनिक चिन्तन में उसके वर्तमान के साथ साथ उसके आदि अन्त के विषय में भी विचार किया जाता है और उसके लिए तदनुकूल आचार संहिता बनाई जाती है। इसी प्रकार सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक व शौक्षिक चिन्तन में क्रमशः सामाजिक जीवन व व्यवाहारिक मानदण्ड; शासन तंत्र व उपयुक्त शासन व्यवस्था; प्रासांगिक अर्थतंत्र व आर्थिक विकास की विधियाँ; मानव व्यवहार के मूलाधार व विकास की गति तथा मनुष्य, वातावरण व संसाधनों की अद्यतन खोज व वांछित कौशलों के उपयोग द्वारा मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न किया जाता है। वस्तुतः सभी चिन्तन मानव के विकास एवं समृद्धि के साधनों की खोज की ओर प्रवृत होते हैं । इस प्रकार सभी प्रकार के चिन्तन अपनी मूल प्रवृत्ति में मानवतावादी है। परन्तु आज जब हम मानवातावादी चिन्तन की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य एक विशेष दार्शनिक चिन्तन से होता है जो सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार मानते हुए मानवमात्र की सुख शान्ति के मार्ग की खोज की ओर प्रवृत्त है।

भारतीय समाज का निर्माण समता, समानता एवं विश्वबंधुत्व के नींव पर हुआ है जो *'सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः'* के उद्देश्यों को लेकर वर्ग, जाति, सम्प्रदाय एवं धार्मिक बंधनों से ऊपर उठकर मानवतावादी विचारों से ओत प्रोत है। अपनी इस धरोहर को संजोये रखने एवं राष्ट्र को विकसित बनाने का पूरा दायित्व बालकों पर है जो राष्ट्र निर्माण की आधारशिला हैं। प्रत्येक राष्ट्र का भविष्य इनके गुणों, कर्तव्य एवं प्रतिभा पर निर्भर करता है। ऐसे में राष्ट्र के प्रत्येक बालक की शिक्षा का दायित्व राष्ट्र का होता है। प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। उसमें विशिष्ट आान्तरिक

शाक्तियाँ विद्यमान होती है। वह विशिष्ट प्रतिभा का पुंज होता है इन शक्तियों एवं प्रतिभा को प्रस्फुटित करने के लिये विशिष्ट शिक्षा, उचित वातावरण एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रसंगवश, *सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय* द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट शिक्षा में समर्पण व योगदान हेतु पुरस्कृत उल्लेखनीय ऑकड़ें (2009) इसके प्रत्यक्ष गवाह हैं — श्री एच0 राघवन, मुरली सी0 शर्मा, सी0 बी0 सारदा, सुनीता देवी, सत्येन्द्र शुक्ला, संजय सेठ, वी0 जनार्दन रंगारेड्डी, एस0 ललिता, बी0 जी0 श्रीमन्नारायण, शर्मिष्ठा दत्ता, एस0 रवि कुमार और कमल चारूदत्ता इत्यादि विकलांगता की विविध श्रेणी में हौसलापरस्त एवं लगनशील प्रतिभाएँ।

पूर्णपूर्णमिदं, तत्त्वमसि एवं खल्विदंब्रह्म की उद्भावना के साथ अक्षमों को सक्षम साबित करने की दिशा में *डा0 सरोज ठाकुर (2006), सुजाताभान (1995), शर्मिल (1998), कोलिन बार्ने (2003), मेहना (2005), जोसे (2009), फेरी खान (2010), मैथ्यू लिण्डा (2010), बार्टर, लोरेन, एंडकार्लन (2010)* ने अपने सफलीभूत प्रयासों को जोड़कर न केवल महज गिनती के साक्ष्य एवं आकड़े प्रस्तुत किये अपितु प्रासांगिक शिक्षा व पुनर्वास की पुरजोर वकालत के साथ मानवीय सरोकारों के नूतन गवाक्ष भी खोलें।

देश की आबादी का दसवां हिस्सा उस संवर्ग का है जो वातावरणीय या अनुवांशिकीय कारणों से शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं मनोशारीरिक विकृति के साथ जन्म लेते हैं और उनकी किसी अंगीय विकृति या क्षति के कारण समाज उन्हें *Disable* अर्थात् अक्षम करार कर देता है। जबकि उनके अन्दर भी वही आन्तरिक शक्तियाँ एवं प्रतिभाएँ विद्यमान है जो सामान्य बच्चों में होती हैं। किसी अंग विशेष के क्षतिग्रस्त हो जाने या विकृत हो जाने से उनकी प्रतिभाएँ समाप्त नहीं हो सकती, हाँ उनके प्रस्फुटन एवं विकास में अवरोध अवश्य उत्पन्न हो सकता है। यदि हम उनके अंगीय क्षति को ध्यान में रखकर उनके लिए विशिष्ट शिक्षा, उचित प्रशिक्षण, पूर्ण सहयोग एवं मानवीय सरोकारों के साथ–साथ सकारात्मक सोच रखें तो ये बच्चे भी अपनी शक्तियों एवं प्रतिभा का उन्नयन कर राष्ट्र के विकास में भागीदार हो सकते हैं। इसका ज्वलन्त उदाहरण *स्टीफेन हाकिंस* है जो एक वैज्ञानिक है तथा *Meta Neuron Disease* से पीड़ित है जिसे ALS *(Amyotrophic Lettered Sclerosis)* के नाम से जाना जाता है। वह स्वतंत्र रूप से चल फिर एवं बोल भी नहीं सकते किन्तु चिन्तन का स्तर इनता उच्च है कि वह बहुत सी अनसुलझी समस्याओं का समाधान कर चुके हैं; साथ ही अपने शोधों, शोध प्रबन्धों एवं लेखों के द्वारा विश्व क्षितिज पर चमक रहे हैं। इसका मूलाधार उनकी शिक्षा व प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था है जिससे वह आधुनिक तकनीकियों का प्रयोग कर अपनी सशक्त अभिव्यक्ति दे रहें हैं।

सर्व प्रथम इन बच्चों की शिक्षा के लिए 1944 के *सार्जेण्ट* कमीशन ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि – *जहाँ भी सम्भव हो, निर्योग्य बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें विशेष विद्यालयों या संस्थानों में तभी भेजा जाना चाहिए जब ऐसा करना उनके दोष की प्रकृति और सीमा के कारण आवश्यक हो जाय। अंशतः निःशक्त बच्चों के साथ सामान्य विद्यालय में ही विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए।* एक सर्वेक्षित साक्ष्य के अनुसार हमारे देश में निःशक्तों की पूरी आबादी 21 मिलियन है जो पूरी जनसंख्या का 2.1 प्रतिशत है जिसमें 19.6 मिलियन पुरूष तथा 9.3 मिलीयन महिलाएँ हैं। पूरी विकलांग जनसंख्या का 49 प्रतिशत पढ़े–लिखे है तथा 51 प्रतिशत निरक्षर है जबकि देश की साक्षरता दर 67.2 प्रतिशत है। इस साक्षर विकलांग जनसंख्या का 28 प्रतिशत प्राथमिक या इससे नीचे की कक्षाओं में अध्ययनरत हैं; जबकि 28 प्रतिशत माध्यमिक स्तर; 27 प्रतिशत उच्च माध्यमिक और 6 प्रतिशत स्नातक स्तर का है। विकलांग व्यक्तियों के 35 प्रतिशत लोग ही कार्य करते हैं। अतः इनकी शिक्षा एवं पुनर्वास संबंधी कोठारी कमीशन (1962–64) का सुझाव यहाँ प्रासंगिक है –*विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य प्रणाली का ही एक अभिन्न अंग हो, अन्तर केवल बच्चे को पढ़ाने की विधि और बच्चे द्वारा ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनाये गये साधनों में होगा।*

स्वातंत्र्योत्तर भारत में विकलांग बालकों की शिक्षा संबंधी योजनाओं के संदर्भ में सर्वप्रथम 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति उल्लेखनीय है, जिसमें इन बालकों को 6–14 वर्ष तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा सामान्य विद्यालयों में सामान्य बालकों के साथ उपलब्ध कराने की बात की गयी । 1987 में *POA* आया जिसका उद्देश्य गंभीर रूप से विकलांग बालकों

को विशिष्ट विद्यालय में नामांकन कराना था। 1987 में ही *PIED* योजना *NCERT* द्वारा *UNICEF* के सहयोग से चलायी गयी जो विकलांग बालकों के एकीकृत शिक्षा की हिमायती थी। *PIED* योजना के मूल्यांकन के लिए 1989–90 में *NCERT* द्वारा भारत के 14 राज्यों में *IEDC* योजना चलायी गयी। 1994 में विकलांगों की समेकित शिक्षा के लिये जिला स्तर पर *DPEP* योजना देश के 7 राज्यों के कुल 42 जिलों में चलायी गयी। इसकी सफलता के बाद इसे देश के 15 राज्यों के कुल 294 जिलों में संचालित किया गया। सन् 2000 में *Education for All* एवं *सब पढ़े सब बढ़े* के उद्देश्य को लेकर *सर्व शिक्षा अभियान* और एक अप्रैल 2010 को *सबके लिये शिक्षा* का कानून लागू किया गया जिसका लक्ष्य 2020 तक सभी बालकों कों शिक्षित करते हुए उचित प्रशिक्षण द्वारा अपेक्षित पुनर्वास की दिशा निर्धारित करना है।

पुनर्वास से तात्पर्य विकलांग व्यक्तियों को दी जाने वाली ऐसी सेवा से है जिसमें इनके विकृत अंगों या विकलांगता को ध्यान में रखकर उनकी अवशेषी क्षमता को निखारने का प्रयास किया जाता है। उनके अवशेषी अंगों को विशेष शिक्षण व प्रशिक्षण द्वारा इस योग्य बनाया जाता है कि वह क्षतिग्रस्त हुए अंगों की कमी को अन्य अवशेषी अंगों के माध्यम से पूरा कर आत्मनिर्भर बन सकें तथा समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें। फलतः पुनर्वास का मुख्य उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों को शारीरिक, शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर उनको आत्मनिर्भर बनाकर सम्मानपूर्वक जीवन जीने एवं भविष्य के जीवन को उपयोगी बनाना है। शोध साक्ष्यों के आधार पर स्पष्ट है कि आंगिक अक्षमता,सांवेगिक अस्थिरता तथा पेशीय असन्तुलन इत्यादि व्यक्ति के वाह्य लक्षण तो हो सकते हैं लेकिन यदि सावधानीपूर्वक सहृदयता के साथ संवैधानिक प्रावधानों और सामाजिक सरोकारों से युक्त मानवीय दृष्टि से पर्याप्त चिकित्सकीय, प्रासंगिक शैक्षिक व उपयोगी व्यावसायिक पुनर्वास की कारगर संहिता इन्हें सक्षम बनाने में ही नहीं अपितु उससे भी प्रभावी कड़ी के रूप में परिवार,समाज व राष्ट्र के उन्नयन की दिशा में पुर्नस्थापित कर सकते हैं। परन्तु पुनरीक्षण व वस्तुनिष्ट तरीके से पड़ताल करने पर उजागर तथ्य इस दिशा में दयनीय कहानी कह रहे हैं –

संवैधानिक प्रावधानों के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के *पुनर्वास* हेतु विधिक रूप से सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक अधिनियम बनाए गये तथा उनमें संशोधन भी किये गये। सर्वप्रथम सार्जेण्ट योजना (1944) के प्रपत्र में इनकी शिक्षा पर ध्यान आकृष्ट किया। बाद में कोठारी कमीशन (1962–64) ने इनके लिए एकीकृत शिक्षा की वकालत की। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) ने इन बच्चों की शिक्षा को गंभीरता से लेते हुए कहा कि – *शिक्षा सबके लिए तभी मायने रखती है जब विकलांग बच्चों को भी शिक्षा का अवसर दिया जाय* / राष्ट्रीय शिक्षा नीति की इस पहल पर ही 'सर्व शिक्षा अभियान' जैसी सशक्त योजना का लोकार्पण हुआ तथा संविधान के 86वीं संशोधन के तहत 6–14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गयी जिसमें विकलांग बच्चों को भी शामिल किया गया। इसके साथ ही सरकार ने विशेष रूप से इन बच्चों के लिए *RCI Act 1992, PWD Act 1995, NT Act 1999* आदि अधिनियम भी पारित किये। एक अप्रैल 2010 को तो *सबके लिये शिक्षा का अधिकार* का कानून भी लागू हो गया है। परन्तु शोध साक्ष्यों, प्रासांगिक चर्चाओं तथा जनसूचनाओं के अनुशीलन से स्पष्ट है कि पर्याप्त संवैधानिक उपबंधों के बावजूद भी मानवीय मूल्यों व सरोकारों के अभाव में अक्षम बनाम सक्षम की जनाकांक्षीय गति में अपेक्षित तीव्रता नही आयी है।

चिकित्सकीय पुनर्वास के संदर्भ में इन बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा उनके निदान के लिए विशेष प्रकार की सेवाएं उपलब्ध करायी जाती है। किन्तु इसमें सबसे बड़ी भूमिका परिवार एवं माता–पिता की होती है कि जन्म से पूर्व वे सावधानी बरतें। विभिन्न प्रकार के संक्रमण से गर्भवती माँ को बचाने के साथ ही यथासमय अपेक्षित जाँच कराये । विकलांगता होने के पूर्व संबंधित रोकथाम पर ध्यान दिया जाय। जन्म के बाद बच्चों की असामान्य अवस्था देखते ही चिकित्सक का सलाह लें और उनके सलाह एवं उपचार के प्रति सजग रहें। सरकार द्वारा इन बच्चों की पहचान के लिए *SSA* के तहत *(IT)* भ्रमणशील शिक्षकों की व्यवस्था प्रत्येक जिले में की गयी है जो प्रत्येक विद्यालय पर जाकर नामांकित छात्रों में से विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करते हैं; उन्हें शैक्षिक सुविधाओं के साथ–साथ चिकित्सकीय सेवा भी उपलब्ध कराते है। गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए *Door to Door* सर्वे किया जाता है तथा उन्हें गृह आधारित

शिक्षा उपलब्ध करायी जाती है। साथ ही प्रत्येक जिले के *BRC* पर 3–6 माह का कैम्प चलाया जाता हैं जिसमें इन पहचान किये गये बच्चों कों दैनिक क्रिया के साथ–साथ विशेष प्रकार के शैक्षिक प्रशिक्षण *(Plus curriculum)* भी दिये जाते हैं।

छठवें भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण प्रारूप के बोलते आकड़े अक्षम संवर्ग के *शैक्षिक पुनर्वास* (पूर्णिमा, 2010) के गवाह हैं कि 6461 शहरों/कस्बों में से केवल 334 अर्थात् 5.1 प्रतिशत शहरों/कस्बों में ही विशिष्ट विद्यालय हैं। तुलनात्मक दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और भी सोचनीय है। देश के कुल 586,465 गांवों में से केवल 241 गांवों में ही सभी प्रकार के विकलांग विद्यार्थियों की शिक्षा की सुविधा उपलब्ध हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत 296 विशिष्ट विद्यालयों में से केवल 272 विद्यालय ही वास्तव में क्रियाशील हैं । कई विद्यालयों की स्थितियाँ तो ऐसी है कि बच्चों के नामांकन के नाम पर 80–100 बच्चों का पंजीयन है किन्तु उपस्थिति मात्र 10–15 है। शैक्षिक पुनर्वास से संबंधित उपलब्ध सभी आंकडे हमारी विशिष्ट शिक्षा की कोरी सच्चाई को उजागर करते है। उ0प्र0 में सत्र 2007–08 में *SSA* में 351084 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान हुयी किन्तु इनमें से केवल 251536 का ही विद्यालय में नामांकन हो पाया; वहीं प्रदेश में संसाधन शिक्षकों की संख्या मात्र 1187 है।

अक्षमों को आर्थिक रूप में सुदृढ़ बनाने व *व्यावसायिक पुनार्वास* के लिये '*राममूर्ति कमेटी*'(1992) ने इनके लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की अनुशंसा की थी। आज भी तदर्थ व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र की उपलब्धता नगण्य है। कुछ संस्थान हैं भी तो उनका एक सीमित दायरा है तथा काफी महँगे हैं जिससे औसत सामाजिक आर्थिक स्थिति वाले बच्चे इसमें दाखिला नहीं ले पाते । विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे *मनरेगा* में जहाँ एक तरफ इनको काम दिया जाना अनिवार्य किया गया है, वहीं दूसरी ओर 59 प्रतिशत विकलांगों को मनरेगा में काम ही नही मिल पा रहा है। यू0पी0 में *मनरेगा* में काम के लिए 19160 विकलांगों ने जॉब कार्ड बनवाया जिनमें 9855 को ही काम मिला (*हिंदुस्तान, 10, 2010*)। यह योजना इनके लिये खयाली पुलाव ही बन कर रह गयी क्योंकि 11305 विकलांग व्यक्ति इसका लाभ उठा ही नही पाये। प्रकारांतर से संप्रेष्य है कि योजनाओं का सही कियान्वयन एवं सरकार की मध्यस्थ दृष्टि अपेक्षित है।

सामाजिक पुनर्वास के तहत इन बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर आत्मविश्वास बढ़ाने तथा अपने अन्दर की हीनता की भावना को समाप्त कर स्वतंत्रता एवं सम्मानपूर्वक जीवन जी सकने की जिजीविषा विकसित करने का प्रयास वांछनीय है। परन्तु आज भी हमारे समाज में ऐसी मानसिकता विकसित है कि माता–पिता अपने सामान्य बच्चों की अपेक्षा अक्षम बच्चों को वैकल्पिक रूप से सामान्य स्तर की उपलब्धि उन्मुखता देते है। साथ ही समाज व शासन पक्ष से भी परिणाम न तो सार्थक है न उत्साहजनक। अंग्रेजी समाचार पत्र *The Hindu* (हैदराबाद संस्करण) दिनांक 13 दिसंबर 1999 में पृष्ठ 2 पर *Special teacher Special Salary* से छपी खबर सरकार की बड़े बड़े दावों की पोल देती है। 398 रूपये प्रति माह अर्थात् 13 रूपया 26 पैसा दिहाड़ी स्पेशल टीचरों का वेतन था जो खेतों में काम करने वाले दैनिक मजदूर के पारिश्रमिक का चौथाई भी नहीं है।

सांदर्भिक विश्लेषणों एवं अध्ययनों को ध्यान में रखते हुए यदि हम पुनर्वास की *चुनौतियों* पर दृष्टिपात करें तो विशिष्ट शिक्षा की कोरी सच्चाई पारदर्शिता के साथ नजर आयेगी। आज भारत विकासशील राष्ट्रों की श्रेणी में अग्रणी है। उसे विकसित बनाने के लिए जब तक शिक्षा को सुदृढ़ नही किया जायेगा तब तक यह सम्भव नही होगा। इसलिए विकलांग बालकों की शिक्षा एवं उनके पुनर्वास संबंधित *ज्वलंत चुनौतियों* को पहचानना न मात्र अपेक्षित वरन् आवश्यक भी है :–

- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के प्रति जागरूकता व संवेदनशीलता की कमी
- परिवारीजनों में सहयोग व गतिशील दृष्टिकोण का अभाव
- पारिवारिक आर्थिक स्थिति/अशिक्षा

- समाज के सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव
- सरकारीं योजनाओं एवं नीतियों के यथासमय सही क्रियान्वयन का अभाव
- चिकित्सकीय उपबन्धों की अनुपलब्धता/अपर्याप्तता
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का अभाव
- प्रशिक्षित पुनर्वासकर्मियों का अभाव
- विशिष्ट शिक्षा एवं पुनर्वास में आधुनिक तकनीकियों के समावेशन का अभाव
- विशिष्ट शिक्षकों के वेतन के संबंध में आनुपातिक असंतुलन
- सरकारी योजनायों में समन्वयन का अभाव
- सरकारी एवं गैरसरकारी अभिकरणों के प्रयासों के मध्य खाई
- संबंधित योजनायों/कार्यक्रमों की चरणबद्ध मानीटरिंग एवं सतत् मूल्यांकन का अभाव
- समर्पित व निरपेक्ष मानवीय सरोकारों का अभाव

प्रासंगिक शोध साक्ष्यों व अक्षम बनाम सक्षम की मानवीय दृष्टि से समेकित कतिपय सुझाव इन बच्चों की पुनर्वास से जुड़ी समस्याओं से निपटने की दिशा में सार्थक कदम सिद्ध होंगे —

- प्रथमतः सरकार एवं समाज को इनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा।
- विशिष्ट शिक्षा से जुड़े सरकारी/गैर सरकारी अभिकरणों को केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित सहयोग देना होगा।
- संबंधित संस्थाओं की गुणवत्ता की परख समय–समय पर करनी होगी।
- नवोन्वेषी संस्थाओं को भी इन बच्चों के दाखिला लेने एवं विशिष्ट शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रमों को संचालन के लिए निमंत्रण एवं सरकारी सहयोग देना होगा।
- सामान्य शिक्षकों एवं विशिष्ट शिक्षकों के बीच वेतन संबंधी खाई को समाप्त कर विशिष्ट शिक्षकों का विनियमितीकरण जिससे वे भी पूर्ण मनोयोग के साथ इनकी शिक्षा में जुड़ सकें।
- इन बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के लघु व्यवसायिक प्रशिक्षणों की व्यवस्था भी करनी होगी।
- यथासंभव आधुनिक व्यवसायों के प्रशिक्षण के लिए अलग से व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलें जाय क्योंकि आज भारत में चुनिन्दें संस्थाओं में ही इन बच्चों के लिए तथाकथित कुछ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिये जाते हैं जो आधुनिक आवश्यकता के अनुकूल नही हैं।
- सरकार द्वारा बनायी गयी नीतियों एवं योजनाओं के सही क्रियान्वयन के लिए जिला एवं पंचायत स्तर पर ऐसी समीतियों का गठन जो इन योजनाओं एवं नीतियों का मूल्यांकन विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों एवं उनके परिवारों के संदर्भ में करें।
- पुनश्च लाभार्थी योजनओं की जानकारी एवं उसके लाभ हेतु ऐसी (निःशुल्क) टोल फ्री सेवाओं का संचालन जिससे प्रत्येक बालक अपनी समस्याओं को बेहिचक कह सके तथा योजनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकें।

21वीं सदी संचार क्रान्ति का युग है। ऐसे में विशिष्ट शिक्षा में भी यह संचार क्रान्ति दिखनी चाहिए। विशिष्ट शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक शैक्षिक यंत्रों का समावेशन बहुत जरूरी है। भारत में कुछ चुनिन्दे संस्थान ही ऐसे है जहाँ यह सुविधा

बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है। भौतिक विकास के दौड़ में सामाजिक–आर्थिक प्रगति के बावजूद नैतिक मूल्यों की उपेक्षा एवं मानवीय सरोकारों के प्रति उदासीनता हमारे सभी सरकारी व गैर सरकारी प्रयासों को निष्प्रभावी बना दे रही है। *मानव मूल्यों एवं सरोकारों के विचार का केन्द्रीय बिन्दु सद्भाव व सहायता की भावना है। इस दृष्टि से निराश व्यक्ति को निराशा के अंधेरे से बाहर लाने तथा दिग्भ्रमित को सन्मार्ग पर लाने हेतु किया गया प्रबोधन मानवीय मूल्यों से सरोकार रखता है।*

इस प्रकार हम देखते है कि अक्षम बालकों की शिक्षा व पुनर्वास एक चुनौतीपूर्ण मानवीय सरोकारों से जुड़ा क्षेत्र है जिसमें समाज एवं सरकार की भूमिका अहम् है। यदि समाज के लोग इनकी आवश्यकताओं के प्रति सजग व संवेदनशील रहें तथा उनके साथ पूरा सहयोग एवं सकारात्मक सोच रखे तो उनका आत्मबल बढ़ेगा। साथ ही सरकार उपरोक्त चुनौतियों को ध्यान में रखकर इनके पुनर्वास के लिए नीतियाँ बनाएं तथा उसका सही क्रियान्वयन करें तो ये बच्चें भी समाज की मुख्य धारा में जुड़कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। वे अपना जीवन यापन करने के साथ ही साथ अपनी प्रखर प्रतिभा से राष्ट्र के विकास में सहयोग दे सकते है। आवश्यकता है स्वकर्मनियोजित, सहयोगी, सतत् प्रयासोन्मुख मानवीय दृष्टि की। कहा भी है –

स्वकर्मणातम्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानवः

संदर्भ ग्रंथ

1. खान(2010); **क्लिनिकल प्रैक्टिस इम्प्रुभमेंट अप्रोच इन मल्टीस्क्लेरोसिस रीहैबिलिटेशन ए पाइलट स्टडी, इन्टर नेशनल जर्नल आफ रीहैबिलिटेशन रीसर्च,** सितंबर, 33 (3), पृ0 238–247
2. लिण्डा(2010); इवैलुएशन आफ वोकेशनल रिहैबिलिटेशन कॉम्पीटेंसिज इन आस्ट्रेलिया, **इन्टरनेशनल जर्नल आफ रीहैबिलिटेशन रीसर्च,** सितंबर, 33, (2), पृ0 115–123
3. बार्कर, जिनो, कार्लो(2010); कम्यूनिटी रीहैबिलिटेशन होम वर्सस सेंटर गाईडलाइन्स फार चूजिंग द अप्टिकल ट्रीटमेंट लोकेशन, **इन्टरनेशनल जर्नल आफ रीहैबिलिटेशन रीसर्च,** सितंबर,33(2),पृ0 158–164
4. ठाकुर, एस0 (2006); रोल आफ टेक्नालोजी इन रिहैबिलिटेशन आफ द डिसएबल्ड, **www.jicafriends.net/archives/2006/11/role of technology.html**
5. सुजाता (1995); पेरेंटल रोल इन द लाईफ आफ ए स्पेशल चिल्ड्रेन, **डिसएबिलटीज एंड इम्पेयरमेंन्ट,** 9(1),37–40
6. शर्मिला (1998); **माडल ऑफ एजुकेशनल एक्सिलेन्स ऑफ द स्पेशल चिल्ड्रेन,** नेशनल कॉनफरेंस ऑन लोविजन, पोस्ट कॉनफरेंस रिपोर्ट, 64–67
7. कुमार (2008); **विशिष्ट शिक्षा,** जानकी प्रकाशन अशोक राजपथ, पटना, पृ0, 10–12
8. पूर्णिमा एवं नंदिनी (2010); विकलांग बालकों के विकास का प्रबल माध्यम – **समावेशित शिक्षा, आधुनिक भारतीय शिक्षा,** एन0सी0आर0टी0, नई दिल्ली, अंक जुलाई 2009, पृ0 139–140 **www.socialjustice.nic/hindi/pdf.awardeelist09.pdf**
9. भूषण एवं नंदिनी (2000); **हैंडबुक आफ विजुअल ईम्पेयरमेंट,** ब्लाईन्ड पब्लिकेशन अहमदाबाद, पृ0 253–256
10. राय जी0 एवं कुमार, आर (2010); रीविजुयलाईजिंग स्पेशल नीड्स चिल्ड्रेनःएन इन्टरवेन्सन फार सस्टेनेबल डेवेलपमेंट, **एंटायर रिसर्च,** 2 (III), जुलाई, पृ0 41–44
11. बत्रा,एस0 एवं अग्निमित्र,एन0(2008); रोल ऑफ सोसल वर्कर इन कम्यूनिटी बेस रिहैबिलिटेशन सर्विस फार द डिसएबल इन इंडिया, **जर्नल आफ रिहैबिलिटेशान कौंसिल ऑफ इंडिया,** 2 (1–2),पृ0 46–57

◆